

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-770/10संस्थित दिनांक-08.12.10

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

बालादीन पुत्र सुम्मेरसिंह कुशवाह उम्र 31 साल  
निवासी रमना थाना स्योढा जिला दतिया

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 03.12.16 को घोषित}

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 11.10.10 को समय लगभग 15:45 बजे, ग्राम देवीपुरा के पास आम रास्ता शहर में अपने आधिपत्य में एक 315 बोर की अधिया तथा दो जिंदा कारतूस बिना अनुज्ञप्ति के रखे हुये पाया गया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना प्रभारी मौ जे0आर0 जुमनानी को दिनांक 11.10.10 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति देवीपुरा के पास 315 बोर की अधिया लिए घूमते देखा गया है। उक्त आशय की सूचना से मय फोर्स रवानगी कर ग्राम देवीपुरा के पास पहुंचे वहां एक व्यक्ति मोटरसाईकिल पर पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। शंका होने पर मय हमराह फोर्स एवं उपस्थित साक्षियों के उसे घेरकर पकड़ा। तलाशी लेने पर पीठ पर खुरसे एक 315 बोर की हाथ की बनी देशी अधिया लोडेड हालत में मिली जिसे अनलोड किया। एक 315 बोर का जिंदा कारतूस बांयी तरफ पैंट की जेब में रखे मिला। पीछे पैंट की जेब में 2700 रुपये नगद मिले। मोटरसाईकिल बजार डिस्कवर मिली। अभियुक्त से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता बताया। अधिया व कारतूसों को रखने का लायसेंस पूछने पर लायसेंस न होना बताया। अतः साक्षियों के समक्ष आग्नेय आयुध जब्तकर अभियुक्त को गिर0 कर अप0क्र0-121/10 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया, साक्षीगण के कथन लेख किए गए, जब्तशुदा आग्नेय आयुध की जांच कराई गयी, अभियोजन स्वीकृति ली गयी। तत्पश्चात् अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त दिनांक 11.10.10 को समय लगभग 15:45 बजे, ग्राम देवीपुरा के पास आम रास्ता शहर में अपने आधिपत्य में एक 315 बोर की अधिया तथा दो जिंदा कारतूस बिना अनुज्ञप्ति के रखे हुये पाया गया ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में सुरेश दुबे अ०सा० 1, योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ०सा० 2, पुत्तू अ०सा० 3, निम्मो उर्फ रघुवीर अ०सा० 4, जे०आर० जुमनानी अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. जे०आर० जुमनानी अ०सा० 5 यह कथन करते हैं कि दिनांक 11.10.2010 को वे थाना मौ में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उन्हें मुखबिर से फोन पर सूचना मिली कि देवीपुरा के पास एक व्यक्ति अवैध शस्त्र लिए खड़ा है। रोजनामचा सान्हा क्र० 332 पर रवानगी डालते हुए प्र०आर० जाहरसिंह, आरक्षक रामकुमार को लेकर रवाना हुए। देवीपुरा के पास पहुंचने पर एक व्यक्ति मय मोटरसाईकिल पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा जिसे हमराह फोर्स व उपस्थित व्यक्ति निम्मो उर्फ रघुवीर गुर्जर व पुत्तूसिंह की मदद से घेरकर पकड़ा। तलाशी लेने पर पीठ पर कमर में घुसी एक 315 बोर की हाथ की बनी देशी अधिया लोडेड हालत में मिली और बांयी तरफ पेंट की जेब में 315 बोर का जिंदा राउण्ड मिला। पेंट के पीछे जेब में 2700 रुपये व मोटरसाईकिल डिस्कवर एम०पी०-30 एम०बी०-5305 मिली। यह कथन करते हैं कि उन्होंने उसके पूर्व स्वयं की तलाशी साक्षीगण को देकर पंचनामा प्र०पी० 4 बनाया था जिस पर अपने बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। अभियुक्त से जब्ती कर जब्ती पत्रक प्र०पी० 5 बनाए जाने जिस पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। गिर० पंचनामा प्र०पी० 6 पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। इसके अतिरिक्त नक्शामौका प्र०पी० 8 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

7. प्रकरण में साक्षी जे०आर० जुमनानी यह भी कथन करते हैं कि वे मय माल अभियुक्त को थाने पर लाए और रोजनामचा सान्हा वापसी में प्रविष्टि की थी जिसे प्र०पी० 9 के रूप में प्रदर्शित कराते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी प्र०पी० 10 लेख किए जाने जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में न्यायालय में प्रस्तुत आग्नेय आयुध अधिया व कारतूस पहचानते हुए यह भी कथन करते हैं कि प्रस्तुत अधिया व कारतूस वे ही हैं जो उनके द्वारा अभियुक्त

से जब्त किए गए हैं जिन्हें आर्टिकल ए-1, ए-2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्रकरण में साक्षी निम्नो अ0सा0 4 व पुत्तूसिंह अ0सा0 3 के समक्ष अभियुक्त से जब्ती व गिरफ्तारी का कथन किया गया है। उक्त दोनों ही साक्षी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करते हैं। जब्ती पत्रक, गिरफ्तारी पत्रक पर साक्षी निम्नो अ0सा0 4 ए से ए भाग पर हस्ताक्षर तथा जामा तलाशी पंचनामा प्र0पी0 4 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है किन्तु उसके समक्ष कोई भी कार्यवाही होने से इंकार करते हैं। दोनों ही साक्षी अभियुक्त को पहचानने से भी इंकार करते हैं। ऐसे में अभियोजन का संपूर्ण मामला जब्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य पर निर्भर हो जाता है।

8. अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है ऐसे में अभियोजन का मामला संदेहपूर्ण है। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्क के संबंध में कोई आधार अभिलेख पर नहीं हैं मात्र अभियोजन साक्षियों के अभियोजन के मामले का समर्थन न किए जाने के कारण तर्क प्रस्तुत किया गया है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि साक्षी निम्नो अ0सा0 4 यद्यपि अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता किन्तु प्र0पी0 4 लगायत 6 के दस्तावेजों के संबंध में अवश्य ही उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर स्वीकार करता है। ऐसे में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न की गयी हो यह तर्क सुसंगत नहीं है। जहां तक जब्तीकर्ता जे0आर0 जुमनानी के कथनों के संबंध में अविश्वास का तर्क है तो इस संबंध में न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत **कालेबाबू विरुद्ध स्टेट आफ एम0पी0-2008-4 एम0पी0एच0 टी0 397** की ओर आकृष्ट होता है जिसमें अभिनिर्धारित किया है कि यदि अन्य साक्षीगण अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं भी करते तो इस कारण मात्र से पुलिस अधिकारी की साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है। न्यायनिर्णय- राजाखिरना विरुद्ध स्वराष्ट्र राज्य ए आई आर 1954 एस सी पेज 217 में अभिनिर्धारित किया है कि सामान्य न्यायालय यही उपधारणा करेगी कि पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया है वह सही रूप से किया गया है। पुलिस अधिकारी के द्वारा किये गये कार्य को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। न्यायदृष्टांत- मदन सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य ए आई आर 1978 एस सी 1511, अनिल एलेसिस अन्टाय सदाशिव नन्दोस्कर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एआई आर 1996 एस सी 2943 तथा ताहिर बनाम स्टेट आफ दिल्ली ए आई आर 1996 एस सी 3079 में यह सिद्धांत परिपादित किया कि मात्र पुलिस अधिकारी होने के कारण उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है यह साबित होना चाहिए कि क्यो झूठा मामला बनाया जाएगा यदि पुलिस अधिकारी के कथनो का समर्थन स्वतंत्र गवाहो ने किया तो फिर भी पुलिस अधिकारी का कथन यदि विश्वसनीय है तो ऐसी स्थिति मे उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती है।

9. उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा असत्य कथन किए जाने के संबंध में एक युक्तियुक्त व ठोस आधार अभिलेख पर प्रस्तुत होना आवश्यक है और जब्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य को भी साधारण साक्षी की साक्ष्य की भांति विश्लेषण की आवश्यकता है। जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 5 जो यह कथन करते हैं कि उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी और तत्पश्चात् अपने हमराह फोर्स के साथ वे बताए स्थान पर रवाना हुए जिसकी रोजनामचा सान्हा प्रविष्टि 332 बताते हैं और अभियुक्त से जब्ती उपरांत थाने पर वापसी संबंधी प्रविष्टि के संबंध में प्र0पी0 9 को प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से उनके द्वारा रोजनामचा सान्हा के माध्यम से अभियोजन मामले को बल प्रदान किया है। जब्ती पत्रक प्र0पी0 5 में जब्ती नमूना सील अंकित है जिसके संबंध में प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि वे अनुसंधान किट के साथ रवाना हुए थे। प्रकरण में अभियुक्त को जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा असत्य रूप से लिप्त किए जाने का क्या आधार था इस संबंध में कोई सुझाव अभिलेख पर नहीं है जिससे कि जब्तीकर्ता अधिकारी के कथन पर अविश्वास किया जा सके। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क पेश किया गया है कि जब्तीकर्ता अधिकारी व प्रथम सूचना लेखक स्वयं थाना प्रभारी ही हैं ऐसे में उनके द्वारा सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर असत्य की गयी है। इस संबंध में न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत **स्टेट विरुद्ध जयपाल 2004 ए0आई0आर0एस0सी0डब्ल्यू0-1762** की ओर आकर्षित होता है जिसमें अभिनिर्धारित किया है कि संज्ञेय अपराध का अनुसंधान वह पुलिस अधिकारी करने में सक्षम हैं जो किसी सूचना के आधार पर प्राथमिकी लेख करता है और अपराध पंजीबद्ध करता है। वह अधिकारी अंतिम प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर सकता है। अभियुक्त के हितों पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो यह स्वतः ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह प्रत्येक मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

10. प्रकरण में इस प्रकार से जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा अभियुक्त से बिना अनुज्ञप्ति के आग्नेय आयुध संधारित करने के संबंध में सारवान संपुष्टकारी व संदेह से परे साक्ष्य व दस्तावेज पेश किए हैं। साथ ही जब्तशुदा आग्नेय आयुध अधिया व कारतूस की जांच के संबंध में सुरेश दुबे अ0सा0 1 जो दिनांक 29.10.10 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरमोरर के पद पर पदस्थ होते हुए उक्त अधिया व दो जिंदा कारतूसों को चालू हालत में पाए जाने के संबंध में पुष्टि करते हैं, जांच रिपोर्ट प्र0पी0 1 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हुए पुष्टि करते हैं। उनके अभिसाक्ष्य में ऐसी कोई बात प्रकट नहीं हुई जो अभियुक्त को निरपराध दर्शाती हो। योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा0 2 जो दिनांक 02.11.10 को तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म लिपिक के पद पर पदस्थ होने का कथन करते हैं। वे यह बताते हैं कि संबंधित केस डायरी मय जब्तशुदा अधिया व कारतूसों के पेश हुई थी जिसके संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तत्कालीन जिलादण्डाधिकारी रघुराज राजेन्द्र के अभियोजन स्वीकृति आदेश पर ए से ए भाग पर व स्वयं साक्षी के बी से बी भाग



पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। साक्षी उनके हस्ताक्षर भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 47 के अधीन लगभग एक वर्ष तक उनके साथ कार्य करने के फलस्वरूप परिचित होने के कारण प्रमाणित करते हैं जिस पर अविश्वास का कोई आधार नहीं है। न्यायदृष्टांत **म०प्र० राज्य विरुद्ध जियालाल आई०एल०आर०-2009 एम०पी०-2487** में मान० उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन चलाने की अनुमति का आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में जारी किए जाने के कारण उसके कार्य के सद्भाविक तरीके से किए जाने के संबंध में उपधारणा का आधार होने का तथ्य अभिनिर्धारित किया। ऐसी दशा में अभियोजन स्वीकृति भी अभियुक्त के विरुद्ध विधिवत प्रमाणित है।

11. इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन पक्ष यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए सहपठित धारा 3 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

12. अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं, उसे अभिरक्षा में लिया जावे।

13. अभियुक्त का कृत्य स्वेच्छा पूर्वक अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के आधार पर दोषी पाया गया है, ऐसे में उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

सही/-

ए०के० गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

#### पुनश्च:

14. अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के अशिक्षित एवं मजदूर होने के आधार पर उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

15. अभियुक्त यद्यपि अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार करीब 31 वर्षीय व्यक्ति है, किन्तु उसके द्वारा ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के अपराध कारित करने के आशय से आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के संबंध में आरोप प्रमाणित पाया गया है। यद्यपि अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर तथ्य नहीं हैं किन्तु चंबल क्षेत्र में अवैध हथियारों से अपराधों को कारित किए जाने की प्रवृत्ति तीव्रता से बढ़ रही है जिसे हतोत्साहित किए जाने का प्रयास प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है ऐसे में अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25-(1बी) (ए) के अधीन न्यूनतम

उपबंधित सजा एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

16. अभियुक्त से जब्तशुदा मोटरसाईकिल एवं 2700/-रुपये पूर्व से सुपुर्दगी पर हैं अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो तथा आग्नेय आयुध अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित किया जावे। अपील की दशा में मान0 अपील न्यायाल के आदेश का अक्षरशः पालन हो।

17. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि के संबंध में दप्रस की धारा 428 का प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे। अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि यदि कोई रही हो तो वह दी गयी सजा में समायोजित की जावे।

18. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/-

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश